Atal Pension Yojana

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)!!!

ATAL PENSION YOJANA (APY)!!!

A Guaranteed Pension Scheme by Govt. of India

भारत सरकार की एक गारंटीकृत पेंशन योजन

Join Now!!! Or Call on Toll Free Number 1800-110-069

एपीवाईका लक्ष्य समूह
Target segments of APY

एपीवाई योजना भारत के सभी नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई औपचारिक पेंशन की व्यवस्था नहीं है। यह योजना उन कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए वैकल्पिक बचत के लिए प्रोत्साहित करती है।

The APY is applicable to all Citizen of India, especially those in the unorganised sector who do not have any formal pension provision. The scheme encourages these workers to save voluntarily for their retirement.

योजना का प्रबंधन
Administration of the scheme

एपीवाई भारत सरकार की एक योजना है जिसका प्रबंधन एनपीएस संरचना के माध्यम से पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा किया जाता है।

APY is a GoI scheme administered by PFRDA through NPS architecture.

योजना में प्रवेश की आयु
Age of Entry

18 से 40 वर्ष
Between 18-40 Years

पात्रता
Eligibility

भारत का काई भी नागरिक
Any Citizen of India

एपीवाई खाता खुलवाना
Opening APY Account

जिस बैंक में बचत खाता है उन बैंकों के माध्यम से खाते खोले जा सकते हैं ।
The accounts can be opened through bank/post office where savings account is maintained.

अशंदान राशि
Contribution Amount

- 18 वर्ष की आयु पर योजना में शामिल होने वाले अभिदाताओं को रूपये 1000 तथा रूपये 5000 की न्यूनतम तयशुदा पेंशन प्राप्त करने के लिए मासिक आधार पर क्रमशः रूपये 42/– और रूपये 210/–का अंशदान करना पड़ता है।
- अभिदाता की आयु में वृद्धि के साथ–साथ अंशदान राशि में भी बढ़ोतरी होती है।
- अभिदाताओं के लिए मासिक, त्रैमासिक और अर्ध–वार्षिक अंशदान प्रणाली उपलब्ध है।
- अभिदाता के बचत बैंक खाते से स्वतः जमा सुविधा द्वारा अंशदान का भुगतान किया जाता है।
- अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी के पास शेष अवधि के दौरान एपीआई में निरंतर अंशदान जमा करने का विकल्प है

- Subscribers' joining at 18 years of age have to contribute Rs. 42 and Rs. 210 on monthly basis to get a minimum guaranteed monthly pension of Rs. 1000 and Rs. 5000 respectively.
- The contribution amount increases with increase of age of the subscriber.
- Monthly, Quarterly and Half Yearly mode of contribution is available for subscribers.
- The contribution is payable by auto debit facility from the Subscribers savings bank account.
- In case of early death of subscriber, option to the spouse to continue contribution under APY for the remain period.

एपीवाई के लाभ
Benefits of APY

- अभिदाता और उसकी मृत्यु के बाद उस के पति/पत्नी के लिए 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक न्यूनतम गारंटी कृत मासिक पेंशन ।
- दोनों की मृत्यु के बाद नामिति को निधि वापस ।

- Minimum guaranteed monthly pension between Rs. 1000-5000 to the subscriber and to the spouse after death of the subscriber.
- Return of corpus to the nominees after death of both the subscriber & spouse.

NABARD Assisted under Financial Inclusion Fund maintained by "NABARD"